उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका
(ISO 9001 : 2015 Certified)

आदेश संख्याः–.....17...../2019

अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के आवंटनादेश संख्या 05/आ0 प्र0 (रा.आ.मो.नि.)प–05/2019–08 (आ0)/आ0प्र0 राँची, दिनांक 30/05/2019 द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा आग से जले मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण हेतु मुख्य शीर्ष 2245 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से उपायुक्त दुमका को कुल 8,00,000/–(आठ लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है।

2. उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष –113–घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष–03–आग से जले मकानों की मरम्मति/पुनर्निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामाग्री) – 2245–02–113–03–05–43. विपत्र कोड–39S224502113030543.	8,00,000/–
कुल राशिः–	8,00,000/– (आठ लाख रूपये मात्र)

3. कुल प्राप्त आवंटन 8,00,000.00 (आठ लाख) रूपये मात्र में से कुल 1,48,200/– (एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ) रूपये मात्र पूर्व स्वीकृत अभिलेखो के आधार पर अंचल अधिकारी जरमुण्डी को उपावंटित किया जा चुका है एवं अवशेष कुल 6,51,800/– (छह लाख एकावन हजार आठ सौ) रूपये मात्र में से पुनः स्वीकृत अभिलेखो के अनुसार कुल 4,07,800/– (चार लाख सात हजार आठ सौ) रूपये मात्र निम्नलिखित अंचल अधिकारियों को उपावंटित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	रानेश्वर	3,200/–
2	रामगढ़	3,98,200/–
3	शिकारीपाड़ा	6,400/–
	कुल राशि :–	4;07,800/– (चार लाख सात हजार आठ सौ रूपये मात्र)

उपावंटन के पश्चात अवशेष कुल 2,44,000/–(दो लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र सुरक्षित रखा गया है।

4. उक्त आवंटित राशि से अधिसूचित प्राकृति आपदा– Fire (आग) के कारण मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर घटना की तिथि के समय लागू गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत SDRF मद एवं मानदण्ड के अनुरूप प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा–वज्रपात से क्षति की स्थिति में इस आवंटित राशि से व्यय नहीं किया जाएगा।

5. उपर्युक्त कंडिका–2 में उपावंटित राशि का व्यय हो जाने के उपरांत विषयांकित मद (आग से क्षतिग्रस्त मकान) में अतिरिक्त राशि का व्यय मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष–01– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (विपत्र कोड– 39S224580102010759) में एकमुश्त उपावंटित राशि से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर यह तथ्य अंकित करते हुए कि उक्त दोनों शीर्ष में उपावंटित एकमुश्त राशि का व्यय कर लिया गया है, नियमानुसार विभाग को अधियाचना प्रस्ताव समर्पित किया जा सकता है।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

7. सभी भूगतान लाभुक के बचत खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।

8. (i). संबंधित अंचालाधिकारी क्षतिग्रस्त मकानों की तस्वीर को अभिलेख के साथ संधारित रखेंगे। साथ ही भुगतान के पूर्व क्षतिग्रस्त मकानों के मूल्यांकन एवं क्षति की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे। क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत/निर्माण के बाद का ब्योरा तिथि सहित, फोटोयुक्त संधारित करें।

(ii). स्थल जाँच करनेवाले कर्मी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम अभिलेख में स्थल जाँच तिथि के साथ संधारित रहे।

(iii). 5,000/–(पाँच हजार) रूपये तक का भुगतान का सत्यापन पर्यवेक्षक स्तर से तथा उससे अधिक 20,000/–(बीस हजार) रूपये तक का अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

9. पक्का मकान के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भुगतान के पूर्व कम से कम अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से क्षति की जाँच करा ली जायेगी।

10. संबंधित अंचालाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों (S.D.R.S मानकों) के अनुरूप किया जा रहा है।

11. उपावंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए राशि उपावंटित की जा रही है।

12. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–06/2015–NDM-I, दिनांक–06/05/2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार व्यय का मासिक विवरण विभाग को सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

13. (i). इसका ब्यौरा ऑनलाइन जिले के वेबसाइट पर रखना चाहिए।

(ii). भूगतान घटना के 60 दिन के अंदर अवश्य होना चाहिए।

14. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण 20 मार्च 2019 के पूर्व ऑन –लाईन करने का दायित्य अंचल अधिकारी–तथा–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

15. (i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी, द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iii). महालेखाकर से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हेागा।

(iv). संबंधित अंचलाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(v). संबंधित अंचलाधिकारी स्थल निरीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है। साथ ही आश्वस्त हो लेंगे कि मुआवजा भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हेागी कि यदि ऐसी कोइे योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलंब सूचना सम्वन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

17. (i). झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृड़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

(ii). वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक–2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20/03/2015 का अक्षरशः पालन किया जाय।

(iii). कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(iv). स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(v). अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

18. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तो का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–......................../जि0 आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–............../2019
प्रतिलिपीः– अंचल अधिकारी, रानेश्वर/रामगढ़/शिकारीपाड़ा एवं कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–......................../जि0 आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–............../2019
प्रतिलिपीः– आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–......................../जि0 आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–............../2019
प्रतिलिपीः– अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–......................../जि0 आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–............../2019
प्रतिलिपीः– महालेखाकर झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–....97......../जि0 आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–..2/9..../2019
प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को दुमका जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे।

2/9/19

उपायुक्त,
दुमका